

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)

—:: विज्ञापन ::—

जिला बस्तर में बस्तर फाईटर आरक्षक के दशाये अनुसार पदों पर नियुक्ति के लिए आगे वर्णित कार्यक्रम के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इस विज्ञापन द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक पुरुष/महिला उमीदवारों (बस्तर जिले के स्थानीय निवासी) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इच्छुक उमीदवार अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र (नमूना संलग्न) में भरकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बस्तर में कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12.11.2021 के साथ 05.30 बजे तक सीधे जमा किया जा सकता है। जो आवेदक अपना आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजना चाहते हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र पंजीकृत (डाक रजिस्टर्ड) पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा तथा उसकी पावती की रसीद भर्ती हेतु निर्धारित दिनांक को अपने साथ लेकर उपरिथित होना अनिवार्य होगा। उमीदवार यह सुनिश्चित करें कि डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिनांक 12.11.2021 के साथ 05.30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाये। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य/मान्य नहीं किये जा सकेंगे।

रिक्त पदों की संख्या निर्धारण :—

राज्य शासन एवं पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के तहत सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय—समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या (जाति वर्गवार)				योग	जहां आवेदन पत्र जमा होगा
	अनारक्षित	अपिव	अजा	अजजा		
बस्तर	63	42	06	189	300	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बस्तर जगदलपुर

(भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।)

- (क) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासकीय सेवा में वर्ग—तीन के पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (ख) छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ—13—9/दो—गृह/2005, दिनांक 16.01.2007 के अधीन स्वयंसेवी नगरसैनिकों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जायेगा।
- (ग) 30 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेगी। विभाग, मंत्रीपरिषद के पूर्व अनुमोदन से, नियुक्ति हेतु इस सीमा को 10 प्रतिशत कम किया जा सकता है।
- (घ) उन जिलों, जहां सहायक आरक्षक के पद स्वीकृत है, में पदस्थ सहायक आरक्षकों के लिए 15 प्रतिशत समस्तर आरक्षण लागू होगा।

वेतनमान — शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान मेट्रिक्स अंतर्गत लेवल—4 तथा समय—समय पर देय भत्ते।

(चयनित अभ्यर्थियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी)

(1) पात्रता की शर्त :-

- 1— आवेदक को संबंधित जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। भर्ती हेतु संबंधित अभ्यर्थी की मूल निवासी की पात्रता के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ—1—1/2012/1—3 दिनांक 28.05.2019 के माध्यम से जारी दिशा—निर्देश, उक्त अधिसूचना के निरंतर प्रवृत्त रहने की अवधि तक, लागू होंगे।
- 2— अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए।

- 3— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए निरहता माना जायेगा।
- 4— कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्तियां जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।
- 5— कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जावेगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हों से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये, परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसके स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व, इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- 6— कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- 7— कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जावेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।
- 8— कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- 9— अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा – परीक्षा/चयन में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले सहपत्र :—

आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित निम्न दस्तावेज इस क्रम में संलग्न करेगे :—

1. जन्मतिथि सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र 10+2 परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कक्षा 5वीं एवं नक्सल प्रभावित/शिविर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची अंकित जन्मतिथि भी मान्य होगी।)
2. जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. जाति संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति (छोरों शासन के निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।)
5. अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
6. बोनस अंक दावा संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
7. सेना की सेवा अथवा होमगार्ड की सेवा संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8. नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
9. दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ़।
10. अन्य कोई दस्तावेज (विवरण दिया जावे)

नोट :— सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न की जावे, साथ ही मूल प्रति भर्ती स्थल पर चेक/सत्यापन करते समय संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।

(2) निर्धारित आयु सीमा :-

- (क) अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को अर्थात् दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिल की जावेगी।
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (घ) उन अभ्यर्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयुसीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी :—
- (एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
- (दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।
- (तीन) यदि कोई अभ्यर्थी जो छट्टनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :— शब्द “छटनी” किये गये सरकारी कर्मचारी से द्योतक है — ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्हीं भी संगठन इकाई की अस्थाई सरकारी सेवां में निरंतर कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्त हेतु अन्यथा आवेदन देने के तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवान्मुक्त किया गया हो।

- (ड.) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 7: मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई को सिफारिशों के फलस्वरूप, स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई है या जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मास्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया है।
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किये गये हों, और जिन्हें :—
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर, सेवान्मुक्त कर दिया गया हो।
- (3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कर्मचारी।
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी समिलित हैं) जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवान्मुक्त किए गए हो।
- (5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्विटों पर 7: मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवान्मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया हो।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवान्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण विकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

- (च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सर्वर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी ।
- (छ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी ।
- (ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हों, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 36 वर्ष तक शिथिल की जायेगी ।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगरसेना के नान-कमीशंड अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्ययीन रहते हुए शिथिल की जावेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये । स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी अर्थात् उस नगर सैनिक/नान-कमीशंड अधिकारी, जिसने एक वर्ष की नगरसेना सेवा पूर्ण की हो, को अधिकतम एक वर्ष की, जिसने दो वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे दो वर्ष की एवं ऐसे ही आगे की पूर्ण सेवा वर्षों के बराबर की छूट दी जाएगी ।

टिप्पणी – उपर्युक्त नियम 8 के उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों, जिनको चयन के लिए सम्मिलित किया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या चयन के पहले अथवा बाद में, सेवा से त्याग पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् इनकी सेवा या पद से छठनी की जाये, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे ।

- (1) किसी भी अन्य मामले में आयुसीमा शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी ।
- (2) शासकीय/अद्वैशासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरणों में अनुशासन, अयोग्यता अथवा चिकित्सा के आधार पर सेवा से हटाये गये सेवारत अथवा भूतपूर्व कर्मी इस सेवा के अयोग्य होंगे ।

स्पष्टीकरण – शासन के मानदेय पर या संविदा पर कार्य करने वाले अन्य स्वयंसेवियों या कर्मियों या शिक्षाकर्मी या पंचायत कर्मी इत्यादि को आयु सीमा में छूट के संबंध में शासन के तत्समय प्रचलित नियम लागू होंगे ।

(3) शैक्षणिक अर्हताएँ :-

- क– छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे)।
- ख– नक्सल पीड़ित परिवार तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, भी पात्र होंगे ।
- ग– निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र संलग्न करने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी ।
- घ– शैक्षणिक अर्हता के अपवादिक मामलों में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अह मान सकेगी, जिसके पास उक्त शैक्षणिक अर्हताओं में कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संरथाओं द्वारा संचालित परीक्षा, ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो समिति की राय में, अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के विचारण के लिये पात्र बनाती हो ।

(4) शारीरिक अर्हता :-

- अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अनिवार्य रूप से होनी चाहिये:-
- (क) **ऊंचाई** – 163 से.मी. या उससे अधिक (अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिये)
 150 से.मी. या उससे अधिक (अनुसूचित जनजाति वर्ग की पुरुष अभ्यर्थियों के लिये)
 153 से.मी. या उससे अधिक (अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये)
 148 से.मी. या उससे अधिक (अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिये)

(ख) सीना – बिना फुलाये 79 से.मी. (अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु 74 से.मी.) तथा फुलाने पर 84 से.मी. (अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु 79 से.मी.)
(सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 5 से.मी. सीना फुलाना अनिवार्य है)
महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी ।

नोट –

1. विशेष प्रकरणों में शारीरिक मापदण्ड (क) एवं (ख) के संबंध में छूट केवल पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेज द्वारा दी जा सकेगी ।
2. ऊंचाई एवं सीने की नापतौल में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिये ।

(घ) अभ्यर्थी में नॉक–नी, फ्लैट–फुट नहीं होना चाहिए। नॉक–नी एवं फ्लैट–फुट संबंधी अर्हतायें समस्त पदों के लिए अनिवार्य होंगी साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को समक्ष अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगे। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। (आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिये)। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।

(5) चयन की प्रक्रिया –

(एक) आवेदन पत्रों की छानबीनः-

आवेदन पत्रों की छानबीन कर, समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को, प्रथम चरण के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी।

(दो) शारीरिक नापजोख परीक्षा :-

छानबीन उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख कण्डिका (4) के अनुसार किया जायेगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जायेगा। शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक जिला मुख्यालय में किया जायेगा। सभी उम्मीदवारों को दिनांक 22.11.2021 से शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की जांच हेतु परीक्षा स्थल (पृथक से अवगत कराया जायेगा) पर प्रातः 06.30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है।

(तीन) शारीरिक प्रवीणता संबंधी कार्यक्रम :-

शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की जांच में योग्य पाये गये उम्मीदवारों का शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक लिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है, जो 100 अंकों का होगा, इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी :-

- | | | |
|-------------------|---|--------|
| (अ) लंबी कूद | — | 20 अंक |
| (ब) ऊंची कूद | — | 20 अंक |
| (स) गोला फेंक | — | 20 अंक |
| (द) 100 मीटर दौड़ | — | 20 अंक |
| (इ) 3000 मीटर | — | 20 अंक |

अनुक्रम.	मद (आयटम) पुरुष अभ्यर्थी.	अंक	मद (आयटम) महिला अभ्यर्थी	अंक.	मद (आयटम) भूतपूर्व सैनिक	अंक.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1—	लम्बी कूद	20	लम्बी कूद	20	लम्बी कूद	20
	03 मीटर 75 सेमी. से कम	00	02 मीटर 50 सेमी. से कम	00	03 मीटर 65 सेमी. से कम	00
	03 मीटर 75 सेमी. तक	07	02 मीटर 50 सेमी. तक	07	03 मीटर 65 सेमी. तक	07
	04 मीटर तक	11	02 मीटर 75 सेमी. तक	11	03 मीटर 90 सेमी. तक	11
	04 मीटर 50 सेमी. तक	14	03 मीटर 25 सेमी. तक	14	04 मीटर 40 सेमी. तक	14
	05 मीटर तक	17	03 मीटर 75 सेमी. तक	17	04 मीटर 90 सेमी. तक	17
	05 मीटर 50 सेमी. या अधिक.	20	04 मीटर 25 सेमी. या अधिक.	20	05 मीटर 40 सेमी. या अधिक.	20

2-	ऊँची कूद	20	ऊँची कूद	20	ऊँची कूद	20
	01 मीटर 30 सेमी. से कम	00	01 मीटर से कम	00	01 मीटर 05 सेमी. से कम	00
	01 मीटर 30 सेमी. तक	07	01 मीटर तक	07	01 मीटर 05 सेमी. तक	07
	01 मीटर 35 सेमी. तक	11	01 मीटर 05 सेमी. तक	11	01 मीटर 10 सेमी. तक	11
	01 मीटर 40 सेमी. तक	14	01 मीटर 10 सेमी. तक	14	01 मीटर 15 सेमी. तक	14
	01 मीटर 45 सेमी. तक	17	01 मीटर 15 सेमी. तक	17	01 मीटर 20 सेमी. तक	17
	01 मीटर 50 सेमी. तक	20	01 मीटर 20 सेमी. तक	20	01 मीटर 25 सेमी. तक	20
3-	गोला फेंक ("वजन 16 पाउन्ड")	20	गोला फेंक ("वजन 08 पाउन्ड")	20	गोला फेंक ("वजन 16 पाउन्ड")	20
	05 मीटर से कम	00	04 मीटर से कम	00	05 मीटर से कम	00
	05 मीटर तक.	07	04 मीटर तक.	07	05 मीटर तक.	07
	06 मीटर तक.	11	05 मीटर तक.	11	06 मीटर तक.	11
	07 मीटर तक	14	06 मीटर तक.	14	07 मीटर तक	14
	08 मीटर तक	17	07 मीटर तक	17	08 मीटर तक	17
	09 मीटर या अधिक.	20	08 मीटर या अधिक	20	09 मीटर या अधिक.	20
4-	100 मीटर दौड़.	20	100 मीटर दौड़.	20	100 मीटर दौड़.	20
	12 सेकेण्ड या कम.	20	14 सेकेण्ड या कम.	20	14 सेकेण्ड या कम.	20
	14 सेकेण्ड तक.	14	16 सेकेण्ड तक.	14	16 सेकेण्ड तक.	14
	16 सेकेण्ड तक.	07	18 सेकेण्ड तक.	07	18 सेकेण्ड तक.	07
	16 सेकेण्ड से अधिक.	00	18 सेकेण्ड से अधिक.	00	18 सेकेण्ड से अधिक.	00
5-	दौड़ 3000 मीटर	20	दौड़ 3000 मीटर	20	दौड़ 3000 मीटर	20
	10 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	20	12 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	20	12 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	20
	10 मिनिट 45 सेकेण्ड तक	14	12 मिनिट 45 सेकेण्ड तक	14	12 मिनिट 45 सेकेण्ड तक	14
	11 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	07	13 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	07	13 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	07
	11 मिनिट 15 सेकेण्ड से अधिक	00	13 मिनिट 15 सेकेण्ड से अधिक	00	13 मिनिट 15 सेकेण्ड से अधिक	00

टीप:- तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं महिला उल्लेखित होने पर, महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

उपरोक्त सभी आयटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 100 अंकों में से 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आयटमों में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(चार) लिखित परीक्षा—

बस्तर फाईटर आरक्षक पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम के आधार पर गुणागुण सूची प्रवर्गवार तैयार की जायेगी तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाये। लिखित परीक्षा कुल 50 अंकों की तथा इसकी अवधि 02:00 घण्टे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा, जिला मुख्यालय में दिनांक 12.12.2021 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

नोट :- लिखित परीक्षा में परीक्षा भवन में मोबाईल फोन, केलकुलेटर इत्यादि लेकर जाना वर्जित होगा।

(पांच) साक्षात्कार :-

बस्तर फाईटर आरक्षक पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग किया जाकर प्रवर्गवार गुणागुण कम में सूची बनाकर, विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 03 गुना से अधिक हो जाये। साक्षात्कार अधिकतम 20 अंकों की होगा। साक्षात्कार दिनांक 05.01.2022 से दिनांक 10.01.2022 तक जिला स्तर पर गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा लिया जाएगा।

(छ:) बोनस अंक :-

अभ्यर्थियों को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में निम्नानुसार अंक निर्धारित है:-

स.क.	शीर्ष	अधिकतम बोनस अंक
1	राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता, (केवल वे अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, उसमें केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी)	05
2	एन.सी.सी. "सी" प्रमाण-पत्र / एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) का प्रमाण पत्र धारक।	05
3	जिले की स्थानीय बोली का ज्ञान	20
अधिकतम बोनस अंक-		30

(सात) चयन सूची :-

शारीरिक प्रवीणता टेस्ट-100, लिखित परीक्षा-50, साक्षात्कार-20, बोनस अंक-30 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार, बोनस अंकों में प्राप्तांकों के योग के आधार पर गुणागुण कम में सूची बनाई जायेगी । सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी । इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों) के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, जो गुणागुण (प्रावीण्य) के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी योग्यता भी पूरी करते हैं । शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की उनके अपने-अपने प्रवर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक्-पृथक् सूचियां तैयार की जायेगी ।

नगर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, एवं महिला वर्ग को शासन के नियमानुसार आरक्षण लाभ प्रदान किया जावेगा ।

आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुये वास्तविक रिक्त पदों के 25 प्रतिशत अतिरिक्त पदों की प्रतीक्षा सूची बनाई जायेगी, जो प्रकाशन दिनांक से आगामी चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने तक या एक वर्ष की अवधि अथवा जो भी पहले हो, तक ही प्रभावशील रहेगी ।

सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

सीधी भर्ती के लिये फाईटर आरक्षक के पद हेतु अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं बोनस में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी । नियुक्ति, पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुये गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) से की जाएगी ।

एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्मतिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी । अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा । यदि जन्मतिथि एवं प्राप्तांक समान हो तो आवेदन पत्र पंजीयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी ।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची की वैधता, चयन सूची के जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये होगी ।

परिवीक्षा / परीक्षण :-

प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जायेगा । चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाये जाने पर सफल अभ्यर्थी, जिनका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) में आया है, को शासन के नियमानुसार तीन वर्ष परिवीक्षा नियुक्ति किया जाएगा । यदि कोई अभ्यर्थी, चरित्र सत्यापन प्रारूप में कोई जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा से अयोग्य ठहराया जायेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जायेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद प्रकट होता है तो उसे बिना कोई नोटिस दिये सेवा से पृथक् किया जा सकेगा । चरित्र सत्यापन

में प्रतिकूल होने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम, चयन सूची से हटा दिया जाएगा।

यदि कोई अभ्यर्थी जिसे परिवीक्षा पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया हो, दिये गये दिनांक तक, निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित नहीं होता तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम नियमानुसार चयन सूची से हटाया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी यह आदेश जारी कर सकेगा कि वह उस अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करे, जिसका नाम गुणागुण सूची में ठीक नीचे दिये गया है तथा जिसे ऐसे प्रस्ताव के लिये अन्यथा उपयुक्त पाया गया—


सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियमानुसार स्टायपेण्ड देय होगा—

- | | |
|--------------|--|
| प्रथम वर्ष | — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत; |
| द्वितीय वर्ष | — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत; |
| तृतीय वर्ष | — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत; |

अभ्यर्थियों को इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण में “मेडिकली फिट” (Medically fit) होना भी अनिवार्य होगा। इस हेतु मेडिकल परीक्षण भी कराया जायेगा।

निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात किया जायेगा। निर्धारित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय—समय पर यथा निर्धारित मापदण्डों द्वारा प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की स्थिति में प्रशिक्षण कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे सेवा से मुक्त भी किया जा सकेगा।

नोट :- अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के दौरान वर्तमान में कोरोना (COVID-19) महामारी संकमण को ध्यान में रखते हुये दस्तावेज जांच, शारीरिक नापतौल, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शासन/प्रशासन द्वारा जारी निर्देशानुसार मास्क एवं सेनेटाईजर लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
बस्तर, जगदलपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप
:: आवेदक इसे अपने स्वच्छ / स्पष्ट अक्षरों में स्वयं भरेंगे ::

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
जिला बस्तर, जगदलपुर
छत्तीसगढ़ 494001

यहाँ पासपोर्ट आकार
का फोटो चस्पा करें

- 1— आवेदित पद का नाम :—
 2— आवेदक का नाम :—
 3— अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में :—
 4— पिता का नाम :—
 5— जन्मतिथि अंकों में :—
 शब्दों में :—
 01.01.2021 को आयु — वर्ष — माह — दिन
 6— पहचान चिन्ह :—

6— शैक्षणिक योग्यता :—

परीक्षा का नाम / उत्तीर्ण कक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक

- 7— वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :— मो.नं. _____
 8— स्थायी पता :—
 9— रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :—
 (अ) पंजीयन क्रमांक _____
 (ब) पंजीयन दिनांक _____
 (स) वैधता दिनांक _____
 10— क्या आप शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं? यदि हॉ तो वर्ग :— हॉ / नहीं
 वर्ग—अपिव / अजा / अजजा के सदस्य हैं?
 (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
 11— क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं?
 यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें। :— हॉ / नहीं
 12— क्या आप होमगार्ड के सैनिक हैं / रह चुके हैं?
 (यदि हॉ तो जिला सेनानी होमगार्ड द्वारा जारी सेवा अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें। :— हॉ / नहीं
 13— क्या आप अखिल भारतीय संघ के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद में प्रवीणता का प्रमाण पत्र / एनसीसी ‘सी’ प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र धारक हैं?
 (यदि हॉ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें) :— हॉ / नहीं
 14— क्या आप शासकीय / अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा ३००० राज्य / निगम / मण्डल के स्थायी / अस्थायी कर्मचारी हैं? (यदि हॉ तो उसका पूरा विवरण लिखें तथा अपने विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। :— हॉ / नहीं

15— क्या आप कभी शासकीय सेवा के लिए मेडिकल बोर्ड / मेडिकल प्राधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराये गये हैं? (यदि हॉ तो पूर्ण विवरण लिखें)	:- हॉ / नहीं
16— क्या आप किसी अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किये गये हैं, क्या आप पर अभियोजन चलाया गया है? यदि हुए हैं जुर्माना हुआ है या आप किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गये हैं तो पूर्ण विवरण दिया जावे साथ ही अपराध क्रमांक /धारा /थाना एवं जिला सहित पूर्ण विवरण दर्शायें।	:- हॉ / नहीं
17— क्या आप पर वर्तमान में किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? विवरण देवें।	:- हॉ / नहीं
18— आवेदक विवाहित है या अविवाहित है। यदि विवाहित है तो संतानों का विवरण देवें। यदि हाँ, तो विवाह की तिथि	:- _____
1— संतान कुल संख्या	:- _____
2— अंतिम संतान की जन्मतिथि	:- _____

// घोषणा पत्र //

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही है और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को मुझे बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवा समाप्ति का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बन्धनकारी होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम—

दिनांक—

आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित निम्न दस्तावेज इस क्रम में संलग्न करेंगे :—

1. जन्मतिथि सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र 10+2 परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कक्षा 5वीं एवं नक्सल प्रभावित / शिविर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची अंकित जन्मतिथि भी मान्य होगी।)
2. जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. जाति संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति (छोगो शासन के निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।)
5. अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
6. बोनस अंक दावा संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
7. सेना की सेवा अथवा होमगार्ड की सेवा संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
8. नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
9. दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ ।
10. अन्य कोई दस्तावेज (विवरण दिया जावे)

नोट :- सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न की जावे, साथ ही मूल प्रति भर्ती स्थल पर चेक / सत्यापन करते समय संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।